उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1

संख्या: 35/2015/1974/22-1-2015-02/2015टी0सी0

लखनऊ : दिनांक 14 दिसम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री एस0के0 पाण्डेय, वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार ग्रेड-2 को सम्यक विचारोपरांत जनहित/ शासकीय कार्यहित में ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता (Seniority-cum-suitability) के आधार पर अपने मूल पद के कार्यों एवं दायित्वों के साथ-साथ नितान्त काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्धन व्यवस्था (Stop gap arrangement) के अंर्तगत शासन के अग्रिम आदेशों अथवा कानपुर परिक्षेत्र कानपुर में उप महानिरीक्षक कारागार की तैनाती होने जो भी पहले हो, तक के लिए उप महानिरीक्षक, कारागार कानपुर परिक्षेत्र कानपुर (कानपुर मण्डल एवं झांसी मण्डल) के पद के कार्यों एवं दायित्वों का अतिरिक्त कार्यभार के रूप में निर्वहन किये जाने हेतु एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।

2- उप महानिरीक्षक कारागार पद के उक्त अतिरिक्त कार्यों एवं दायित्वों को सम्पादित करने के लिए श्री एस0के0 पाण्डेय को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।

3- उप महानिरीक्षक कारागार पद के अतिरिक्त कार्यों एवं दायित्वों के सम्पादन हेतु उक्त नितान्त काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्धन व्यवस्था शासन द्वारा कभी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

एस0 के0 रघुवंशी

सचिव।

संख्या: 35/2015/1974(1)/22-1-2015-02/2015टी0सी0 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- अपर महानिरीक्षक (प्रशासन), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा-महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4- संबंधित अधिकारी (नाम से) ।

5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, द्वारा- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

6- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(पलबिन्दर सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in